न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –1, बरेली।

पंचम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 801/2026

(CNR UPBR 01-006503-2026)

अमिताव कुमार पुत्र कौशलेन्द्र सिंह सिंह,
निवासी–ग्राम–उनासी, थाना–फतेहगंज पश्चिमी, जनपद बरेली।

..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या 624/2018
अन्तर्गत धारा 420, 467 भा0दं0सं0
थाना फतेहगज पश्चिमी, जनपद–बरेली।

दिनांक 01.06.2026

आवेदक/अभियुक्त अमिताव कुमार की ओर से मु0अ0स0 624/2018 अन्तर्गत धारा 420, 467 भा0दं0स0, थाना फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली, के आपराधिक प्रकरण में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पंचम अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की और ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त अमिताव की ओर से अपने पंचम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 325/2022 दिनॉक 05.07.2022 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है। द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र 538/2022 दिनॉक 03.11.2022 को बल न देने के कारण पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। तृतीय जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 856/2022 दिनॉक 05.12.2022 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4, बरेली के न्यायालय से निरस्त किया जा चुका है तथा चतुर्थ जमानत प्रार्थना–पत्र सं0650/2026 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, बरेली के न्यायालय से बल न देने के कारण नोट प्रेस किया गया है।

अभियोजन केस के अनुसार वादी मुकदमा नरेश सिंह पुत्र राजवीर सिंह, निवासी मोहल्ला ठाकुरद्वारा, कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को इस आशय का प्रार्थना–पत्र दिया गया कि उसके ही तहेरे भाई कौशलेन्द्र सिंह पुत्र सत्यवीर सिंह व विद्यावती पत्नी कौशलेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम औंध, थाना फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली, हाल निवासी उनासी कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ने अपने हिस्से की भूमि स्थित ग्राम उनासी पूर्व में ही कान्ता प्रसाद व राजपाल सिंह पुत्र नरायनसिंह को विक्रय कर चुके है तथा धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से दिनांक 24.05.2007 को उसके हिस्से की ग्राम उनासी की भूमि गाटा संख्या 161/3 व 164/1 का बैनामा राजवाला पत्नी जमादार सिंह के हक में कर दिया। गाटा संख्या 161/3 चकबन्दी होने के कारण उसका नम्बर बदलकर गाटा संख्या 121 व 313 हो गये है, जिन पर पूर्व से आपसी बटवारे के आधार पर वादी व उसका भाई रमेश सिंह दाखिल व काबिज है। उसके द्वारा इस बावत थाने में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनाक 16.06.2018 को समय सुबह आठ बजे वह व उसकी पत्नी रेखा सिह अपनी जमीन पर निर्माण हेतु खुदवा रहे थे तभी कौशलेन्द्र सिंह व रोहताश, अभिताश सिंह पुत्रगण कौशलेन्द्र सिंह व जूली पुत्र छुट्टन सिंह, छुट्टन सिंह पुत्र फकीरी सिंह निवासी मोहल्ला साहूकारा फतेहगंज पश्चिमी मौके पर आ गये तथा गालीगलौज करने लगे तथा उसे जान से

मारने की धमकी दी और कहा कि अगर निर्माण किया तो जान से मार देंगे। उसे विपक्षी द्वारा फर्जी बैनामा होने की जानकारी पहले से नहीं थी। वह जब अपने खेत में निर्माण कराने गया, तो फर्जी बैनामे की जानकारी हुयी। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का आदेश करने की याचना की गयी। पुलिस अधिकारी के आदेश द्वारा दिनॉक 16.12.2018 को समय 13.09 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली पर मु.अ.सं0 624/2018 अंतर्गत धारा 420, 467, 504, 506 भा0दं0सं0 अभियुक्तगण कौशलेन्द्र सिंह, विद्यावती, रोहताश, अमिताभ, जूली एवं छुट्टन सिंह के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। बाद विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण कौशलेन्द्र सिंह, श्रीमती विद्यावती, अमिताब कुमार, रोहिताश कुमार, अमरजीत सिंह उर्फ जूली एवं छुट्टन सिंह के विरूद्ध आरोप–पत्र अंतर्गत धारा 420, 467, 504, 506 भा0दं0सं0 के तहत न्यायालय में आरोप–पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी पूर्णतः झूठे तथ्यों पर आधारित है, जो खुले न्यायालय में साबित नहीं की जा सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त तथा वाद के सह अभियुक्तगण एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। अभियुक्त के स्व0 पिता व उक्त वाद के सह अभियुक्त कौशलेन्द्र सिंह जब दो वर्ष के थे, तब उनके पिता का इंतकाल हो गया। कौशलेन्द्र की परवरिश परबाबा करन सिंह ने की थी। अभियुक्त की दादी विष्णु कुमारी ने अपने ससुर करन सिंह के देखरेख अभियुक्त के स्व0 पिता व सह अभियुक्त कौशलेन्द्र सिंह की अच्छी परवरिश की व अच्छे संस्कार दिये। उक्त करन सिंह द्वारा अभियुक्त की मॉ श्रीमती विद्यावती व स्व0 पिता सह अभियुक्त कौशलेन्द्र सिंह के हक में रजिस्टर्ड वसीयत दिनॉक 07.06.1970 में कर दी गयी, जिस पर अभियुक्त की मॉ विद्यावती व स्व0 पिता सह अभियुक्त कौशलेन्द्र का नाम का इन्द्राज हो गया। उक्त वाद का वादी मुकदमा चचेरा चाचा है। चूँकि रजिस्टर्ड वसीयत अभियुक्त की मॉ व पिता के हक में की गयी थी, जिस कारण वादी मुकदमा व उसका सगा भाई स्व0 रमेश से जमीनी विवाद को लेकर मुकदमें बाजी शुरू हो गयी। अभियुक्त द्वारा न तो धोखाधड़ी की गयी और न ही जालसाजी की गयी। अभियुक्त द्वारा स्वंय अपनी जमीन का विक्रय श्रीमती राजवाला के हक में किया गया है। अभियुक्त उक्त वाद में अंतर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 में अवर न्यायालय के समक्ष समर्पण कर पूर्व में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। सह अभियुक्तगण रोहिताश कुमार, अमरजीत उर्फ जूली व श्रीमती विद्यावती की जमानत इसी न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनॉक 31.03.2026 एवं 27.02.2026 को मंजूर फरमाई जा चुकी हैं। अभियुक्त का रोल भी सह अभियुक्त के समान है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त द्वारा स्वंय को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की और से विद्वान सहायक शासकीय अधिक फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पूर्व में विक्रय की जा चुकी जमीन का पुनः विक्रय–पत्र निष्पादित किया गया है जो कि गम्भीर प्रकरण है जबकि यह वादी मुकदमा का परिवारीजन है तथा उसे समस्त तथ्यों की जानकारी है। इसके अतिरिक्त नामले में वर्ष 2020 में आरोपपत्र दाखिल होने के उपरान्त से आज तक न्यायालय ने उपस्थित नहीं हुआ है, जबकि प्रकरण वर्ष 2018 से सम्बधित है। उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उसे उक्त मुकदमें में झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उपरोक्त मुकदमें में कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उपरोक्त मुकदमें के विवेचक द्वारा गलत साक्ष्य संकलित कर उसके विरूद्ध उपरोक्त मुकदमें में आरोप–पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया है। उपरोक्त मुकदमें में सह अभियुक्त रोहिताश कुमार की अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बरेली द्वारा दिनांक 31.03.2026 को स्वीकार की जा चुकी है तथा अभियुक्त विद्यावती व कौशलेन्द्र की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पूर्व में दौरान विवेचना स्वीकृत की जा

चुकी है तथा अभियुक्त अमरजीत उर्फ जूली की जमानत इसी न्यायालय द्वारा दिनॉक 27.02.2026 को स्वीकृत की जा चुकी है।

मामले के मुख्य अभियुक्तगण कौशलेन्द्र सिंह व श्रीमती विद्यावती जिनके द्वारा कथित बैनामा निष्पादित किया जाना कहा गया है, की अग्रिम जमानत, दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 44906/2019 में पारित आदेश दिनांकित 24.10.2019 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है। उपरोक्त प्रकरण में सह अभियुक्त रोहिताश की जमानत इसी न्यायालय द्वारा दिनॉक 31.03.2026 को स्वीकार की जा चुकी है तथा अभियुक्त अमरजीत उर्फ जूली की जमानत इसी न्यायालय द्वारा दिनॉक 27.02.2026 को स्वीकृत की जा चुकी है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने व सह अभियुक्तगण रोहिताश कुमार एवं अमरजीत उर्फ जूली की अग्रिम जमानत पूर्व इसी न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये जाने तथा अभियुक्तगण कौशलेन्द्र सिंह व श्रीमती विद्यावती की अग्रिम जमानत पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने सम्बन्धी समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की निम्नलिखित शर्ता के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का न्यायोचित आधार प्रतीत होता है। तद्नुसार अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अमिताव कुमार की ओर से मु0अ0स0 624/2018 अन्तर्गत धारा 420, 467 भा0दं0सं0, थाना फतेहगज पश्चिमी, जिला बरेली के मामले में प्रस्तुत पंचम अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। आयेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **पचास हजार रूपया** का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बधित मजिस्ट्रेट न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे निम्न शतों के अधीन अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत प्राविधानों का दुरूपयोग नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुका बाद जमानात किसी गवाह को डराने, धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति से भारत नहीं छोड़ेगा।

दिनांकः 01.06.2026

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
जे0ओ0कोड यू0पी0 6160
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–1,
जनपद बरेली।

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.06.04 10:02:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court